

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./138/2023/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

लाडूराम पुत्र धीमाराम जाति विशुनोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. कालूराम पुत्र धीमाराम 2. बाबूराम पुत्र धीमाराम जाति विशुनोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक एस वी आई शाखा गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी
--	---


अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2021
बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री
दिनांक 13.12.2023 के विरुद्ध पेश हुई।

1. वकील श्री पूनाराम विशुनोई अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—23.02.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांतस एवं उतरदाता संख्या
01 व 02 की संयुक्त, सामलाती कृषि भूमि ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो
की ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 1657/1 रकबा 2.7195 हैक्टर का अवस्थित है। उतरदाता


23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का संयुक्त 1/3-1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जल्दबाजी में आकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उत्तरदाता के साथ मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा पेश किये गये प्रतिदावा का निस्तारण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के विपरीत तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांटस को जो भूमि दी गई उसे वादी/रेस्पोंडेंटस द्वारा मौके पर ईट भट्टों का कार्य करने से बंजर की गई। अपीलांटस द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि को मेहनत कर उपजाऊ बनाया गया उसे उत्तरदाता के हिस्से में दे दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांटगण व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की आपति को विधि विरुद्ध जाकर खारिज किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा नायब तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2001(2) Page 1233

RRT 2014(1) Page 258

RRT 2023(1) Page 77

RRT 2023(1) Page 476

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किया गया

लि.
23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

जिसने अपीलांटगण की ओर से बकायादा जबावदावा, प्रतिदावा पेश किया गया जिसका मातहत अदालत द्वारा विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोंडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2023 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1397-99 दिनांक 12.10.2023 को जारी किये गये थे, जिनकी तामीली विधिक रूप से करवायी गयी। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांटगण को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई

22.10.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार-बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति के आवेदन का विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अपीलांटगण की अपील में भी यह उजर किया गया है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जबकि तहसीलदार गुड़ामालानी ने बकायदा अपीलाधीन आराजी का मौका देखकर अपनी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2023 तैयार करने से पूर्व समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1397-99 दिनांक 12.10.2023 को जारी किये गये थे, जिनकी तामीली विधिक रूप से करवायी गयी। जिसका स्पष्ट उल्लेख विभाजन प्रस्ताव में किया गया। उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणीयां टांके, पशु बाड़े, भूमि के उपजाऊपन, अनुसार बाई बिटस एण्ड बाउडस अनुसार, बहिस्सा अनुसार मौका अनुसार मौके पर खातेदारान के रूबरू किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 13.12.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील उतरदाता को नाहक तंग एवं परेशान करने के लिए पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2023 को यथावत रखा जाता है।

क्र. 23.2.24
(मंगलदास प्रसाद)
राजस्व अपील अधिकारी
वाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

क्र. 23.2.24
राजस्व अपील अधिकारी
वाड़मेर

डिक्री बसीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 138 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोंडेंटगण

लाडूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. कालूराम पुत्र धीमाराम 2. बावूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक एस वी आई शाखा गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी
--	---

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2023 के विरुद्ध पेश हुई।

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 23 फरवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई अपीलांट की तरफ से एवं श्री रोशनलाल रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 13.12.2023 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हसब तफसील जेल तादादी मुवलिंग
-----) रूपये ----- अदा करें। खर्चा मुकदमा
मातहत का ----- अदा करें।
बसब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा बतारीख 23 फरवरी 2024 को जारी
किया गया।

फि' 23.2.24
(मंगलाराम पुनिसा) अधिकारी RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी बाइमेर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोंडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

फि' 23.2.24
(मंगलाराम पुनिसा) अधिकारी RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी बाइमेर